प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 23.10.2020

गौकशी कर रहे बदमाशों से थाना गुलावठी पुलिस की हुई मुठभेड़, कुख्यात गौ-तस्कर 25,000 रूपये का पुरस्कार घोषित/टॉप-10 अपराधी अरमान घायलावस्था में अपने साथी अब्बू तलहा सहित गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, गौकशी करने के उपकरण व 01 जीवित बछड़ा आदि बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राबाद श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव के निकट पर्यवेक्षण मे दिनांक 22/23.10.2020 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक गुलावठी श्री सचिन मलिक मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र में देख-रेख शान्ति-व्यवस्था तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गौकश ग्राम बरमदपुर फाटक से आगे रजवाहे के किनारे बम्बे के पास बाग में गौकशी की घटना की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक थाना गुलावठी श्री सचिन मलिक द्वारा थाने से अन्य फोर्स बुलवाकर मौके पर पहुँचकर बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों द्वारा अपने आपको घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई जिस पर पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किए गए। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया तथा एक अन्य बदमाश को भी कॉम्बिंग कर समय रात्रि करीब 22.52 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। घायल बदमाश की पहचान अरमान पुत्र नूरईलाही निवासी मौ0 पीरखाँ कस्बा व थाना गुलावठी जनपद बुलंदशहर के रुप में हुई तथा दूसरे बदमाश की पहचान अब्बू तलहा पुत्र करीमुल्ला निवासी ह्रदयपुर थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ के रूप में हुई है। घायल बदमाश अरमान को उपचार हेतु सीएचसी गुलावठी में भर्ती कराया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-पता-

1- अरमान पुत्र नूरइलाही निवासी मौ0 पीर खां कस्बा व थाना गुलावठी बुलन्दशहर।

2- अब्बू तलहा पुत्र करीमुल्ला निवासी ह्रदयपुर थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़।

बरामदगी-

1- एक तमंचा 315 बोर, 4 जिंदा व 01 खोखा कारतूस, 03 छुरी

2- गौकशी करने के उपकरण

3- एक जीवित बछड़ा।

गिरफ्तार अभियुक्त अरमान शातिर किस्म का कुख्यात गौकश है तथा जनपद बुलन्दशहर का टॉप-10 अपराधी भी है जो थाना गुलावठी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-345/20 धारा 307/414 भादवि में 11.06.2020 से लगातार वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा 25,000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त अरमान के विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर व हापुड़ के विभिन्न थानों पर गौकशी, हत्या के प्रयास आदि संगीन अपराधों के निम्न अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्त अरमान का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-125/09 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़।

2- मुअसं-005/11 धारा 4/25ए शस्त्र अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

3- मुअसं-292/17 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

4- मुअसं-704/17 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

5- मुअसं-126/18 धारा 3/25ए शस्त्र अधी0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
6- मुअसं-213/19 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
7- मुअसं-125/20 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़।
8- मुअसं-345/20 धारा 307/414 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
9- मुअसं-669/20 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
10- मुअसं-670/20 धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
11- मुअसं-671/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गुलावठी पर मुअसं-669/20 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) व मुअसं-670/20 धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधि0, मुअसं-671/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0, मुअसं-672/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. श्री सचिन मलिक प्रभारी निरीक्षक थाना गुलावठी
2. व0उ0नि0 लोकेन्द्रपाल सिंह, उ0नि0 शिवकुमार, उ0नि0 प्रवेन्द्र कुमार
3. का0 संदीप यादव, का0 चालक संदीप लाकडा, का0 पंकज कुमार, का0 पंकज कुमार, का0 सत्यवीर सिंह।